न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0: 21/2019

1. रामलाल पुत्र बिशनाराम जाति कुम्हार निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. नौरंगलाल पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक : 16.08.2019 तहसीलदार (राजस्व) रावतसर

निर्णय दिनांक : **14.09.2021**

संक्षेप में, अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2019 प्रकरण स0 19/1010 बअनवानी नौरंगलाल बनाम मालाराम बअदालत तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।
2. रेस्पो0 स0 1 ने मातहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सामान्य शर्त) के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के नाम से व प्रार्थी के भाईयों कानाराम पुत्र मामराज व हरजीराम पुत्र मामराज के नाम से संयुक्त खाता स0 28/23 के ख0न0 112 में 1.796 है0 बारानी भूमि ख0न0 91/1 की 2.530 है0 बारानी भूमि कुल तादादी 4.3260 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी के भाईयों कानाराम व हरजीराम पि0 मामराज जाति कुम्हार निवासी मालासर ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त करने के लिए प्रार्थी को दे रखी है तथा प्रार्थी के चिपता ख0न0 91 में रामलाल पुत्र बिशनराम का खेत है । रामलाल की कृषि भूमि में पश्चिम में सड़क है । प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए रामलाल की कृषि भूमि में दक्षिण की तरफ उत्तर से दक्षिण रास्ता में अपने खेत में आता जाता रहता है । यह रास्ता 70–80 वर्ष पुराना है। रामलाल ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया तथा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सामान्य शर्त) के अन्तर्गत अप्रार्थी रामलाल के खिलाफ कार्यवाही कर प्रार्थी के खेत

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(हनुमानगढ़)

का रास्ता खुलवाने का कथन किया। अप्रार्थी/अपीलांट ने रास्ता ग्राम मालासर के ख0न0 91 में नहीं होना बताया तथा रेस्पो0 सं0 1 नौरंगलाल का लिछमण की कृषि भूमि से आवागमन होना बताया। सुविधाजनक व मौका पर उक्त रास्ता लिछमण चाहर के खेत से होना बताया तथा रोही मौजा मालासर तहसील रावतसर के ख0न0 434/90 की 0.506 है0, ख0नं0 53 की 7.651 है0, ख0न0 65 की 1.416 है0, ख0नं0 91 की 2.875 है0 कुल 12.448 है0 भूमि में से 9159/12448 हिस्सा प्रार्थी व रमेश कुमार पुत्र किशनाराम हिस्सा 3289/12448 है0 हिस्सा साझा खाते में दर्ज है । प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में नरमा व बाजरा की फसल काश्त कर रखी है और अपनी कृषि भूमि के चारों ओर पशुओं से सुरक्षा हेतु पटियां आदि लगा रखी है तथा अपीलांट की कृषि भूमि में से नौरंगलाल पुत्र मामराज का आवागमन हेतु कभी भी रास्ता नहीं रहा है। नौरंगलाल पुत्र मामराज हमेशा से ही लिछमण चाहर की कृषि भूमि के दक्षिण सींव से पश्चिम से पूर्व आवागमन करता है। आदि आदि प्रस्तुत किया जिस पर मातहत अदालत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय तौर से गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय तौर से व मनमाने तौर से पारित किया है तथा अपीलांट का जवाब प्रार्थना पत्र का कोई विवेचन नहीं किया तथा गिरदावर हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके तहत रोही मौजा मालासर के ख0न0 91/1 में कोई रास्ता नहीं लगता स्पष्ट रिपोर्ट दिनांक 28.06.2019 को आदेश कमांक 781 की पालना में पेश की गई परन्तु मातहत अदालत ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को मानते हुए गिरदावर हल्का की रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर दिया तथा विरोधाभाषी रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत ही कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर के तहत ही प्रस्तुत किया जा सकता था। मातहत अदालत ने बिना किसी क्षेत्राधिकार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. रेस्पो0 सं0 1 ने उपरोक्त भूमि संयुक्त खाता की होने के उपरान्त भी अन्य काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि संयुक्त खाता की भूमि में समस्त काश्तकार आवश्यक पक्षकार थे। मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दु का नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
6. मातहत अदालत के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सामान्य शर्त) के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 14.08.2019 को पेश किया । मातहत अदालत ने दिनांक 14.08.2019 को उक्त आवेदन पर ही रास्ता खुलवाने के आदेश जारी बिना किसी सुनवाई के कर दिया जो कि नैसर्गिक न्यांय की अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
7. राजस्थान काश्तकारी नियम सरकारी 69 के तहत धारा 251(क) में स्वयं मौका देखा जाने पर मेन्डेटरी (Mandetory Provision) था परन्तु मातहत अदालत ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।
8. पटवारी हल्का ने संयुक्त खाता के समस्त पक्षकारों को मौका देखे जाने पर कोई नोटिस नहीं दिया तथा समस्त काश्तकारों के फर्द मौका पर हस्ताक्षर नहीं करवाएं केवल टेबल रिपोर्ट का बिना मौका देखे प्रस्तुत की थी । इसलिए पटवारी की रिपोर्ट विश्वास योग्य नहीं है । मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2019 रोही मौजा मालासर के ख.न. 91 में प्रकरण सं0 19/1010 बअनवानी नौरंगलाल बनाम मालाराम बअदालत तहसीलदार (राजस्व) नोहर अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन कथन किया कि रेस्पोडेंट सं0 1 ने तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है कि प्रार्थी व उसके भाईयों कानाराम, हरजीराम पुत्र मामराज की संयुक्त खातेदारी की खाता सं0 28/23 के खसरा नं0 112 व 91/1 में आवागमन हेतु ख0नं0 91 रामलाल पुत्र बिशनाराम के खेत में दक्षिण की तरफ उत्तर से दक्षिण रास्ता 70–80 वर्ष पुराना है जिसको रामलाल ने बंद कर दिया है, रास्ते को खुलवाया जावें।

तहसीलदार रावतसर को भू0अभि0नि0 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27.06.2019 में ख0न0 91 में कोई रास्ता नहीं बताया जबकि पटवांरी ने रिपोर्ट में रास्ता बताया है। दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है। राजस्थान टिनेनसी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के अनुसार भू0अभि0नि0 से अनिम्न अधिकारी ही मौका निरीक्षण कर सकता हैं। संयुक्त खातेदारों को नहीं सुना गया। अतः अपील स्वीकार फरमावें व तहसीलदार रावतसर का निर्णय दिनांक 16.06. 2019 अपास्त फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली/रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रावतसर को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2019 बाबत रास्ता खुलवाने, जो तहसीलदार रावतसर को मार्क किया गया, प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार रावतसर द्वारा पत्रांक 781 दिनांक 21.06.2019 द्वारा पटवारी हल्का मालासर को जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया तथा अपीलांट रामलाल पुत्र किशनाराम को सुनवाई हेतु नोटिस क्रमांक 816 दिनांक 03.07.2019 जारी कर तामील करवाया गया । नोटिस का जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 05.07.2019 को तहसीलदार रावतसर को पेश किया गया । पटवारी हल्का मालासर ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.06.019 जो तहसीलदार रावतसर को दिनांक 01.07.2019 को प्रस्तुत की है, में अंकित किया है कि खसरा नं0 91/1 में कोई दर्जशुदा रास्ता नहीं लगता । प्रार्थी पूर्व में सड़क से खसरा नं0 91 से होते हुए अपने खेत आने जाने के लिए उपयोग करता था । वर्तमान में रास्ता रामलाल पुत्र किशनाराम के द्वारा बाड़ व तार डालकर बंद कर दिया गया है । इसी रिपोर्ट के संदर्भ में तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व/19/1010 दिनांक 16.08.2019 पारित किया । तहसीलदार रावतसर द्वारा पत्रांक 838 दिनांक 08.07त्र9 द्वारा भू अ0नि0 पल्लू से भी उक्त रास्ते बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई लेकिन भू0नि0 पल्लू की ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र रास्ते खुलवाने बाबत दिनांक 14.08.2019 को भी तहसीलदार को प्रस्तत किया गया । उपरोक्त विवेचन के अनुसार गांव मालासर के खसरा नं0 91 संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं ।

सभी सह खातेदारों को सुना जाना न्यायोचित है । अधीनस्थ अदालत ने सभी सह खातेदारों को विधिवत नहीं सुना है ।

अत : अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.08.2019 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार रावतसर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मौका निरीक्षण कर सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(भागीरथ आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)